न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 10 /2022 तारीख रजू :– 09.03.2022

प्रार्थना पत्र बावत् धारा 136 एल.आर.एक्ट

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/83

उनवान

रमन पुत्र श्री किन्दुरी लाल जाति जाटव निवासी ऐकोरासी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

––सायलान–01

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

––गैरसायल–01

दिनांक	फर्द अहकाम	
10.03.2022	यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री विजय सिंह चौधरी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.04.2022 को पेश हो। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
1/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकलाए उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दि 21.4.22 को पेश हो	
21/4/2022	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में सायल व सायल वकील को बार-बार आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने पर लगातार सायल व सायल वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल व सायल वकील प्रकरण की पैरवी में रुचि नहीं रखते हैं। अतः मु०नं० 10/2022 धारा 136 रमन बनाम तहसीलदार हिण्डौन अदम पैरवी व अदम [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] की जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested